03
04.01.2022

बिहार कौशल विकास मिशन,
श्रम संसाधन विभाग

आदेश

बिहार कौशल विकास मिशन के दिनांक–25.03.2021 को सम्पन्न 15वीं शासी पर्षद की बैठक में निर्णय लिया गया है कि **"सभी प्रकार के कौशल विकास केन्द्रों में Franchisee संबंधी सभी मामलों के लिए सभी आवेदक एक माह के MST अवधि में आवेदन देगें, जिसपर संबंधित विभाग जॉचोपरान्त केन्द्रों के उनके वास्तविक संचालनकर्ता के नाम पर विनियमित करने के संबंध में निर्णय लेंगे। भविष्य में किसी संस्था को Franchisee mode में संचालन हेतु संबंधित विभाग से पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी, बिना पूर्वानुमति के केन्द्र का संचालन Franchisee mode में किये जाने से संबंधित मामले पाये जाने की स्थिति में केन्द्र का निबंधन स्थायी तौर पर रद्द कर दिया जायेगा।"**

शासी पर्षद की बैठक में लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में बिहार कौशल विकास मिशन में पंजीकृत सभी कौशल प्रशिक्षण केन्द्रों को सूचित किया जाता है कि केन्द्रों के Franchisee mode में संचालित होने की स्थिति में इन्हें वास्तविक संचालक के नाम विनियमित करने हेतु आवेदक एक माह के अंदर सभी अभिलेखों/साक्ष्यों के साथ अपना आवेदन संबंधित विभागों को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

(वन्दना किनी)
अपर मुख्य सचिव,
श्रम संसाधन विभाग–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।

ज्ञापांक–BSDM/SDM–133/2021– 03 पटना,दिनांक– 04.01.2022

प्रतिलिपि– **(1)** मिशन निदेशक, बिहार कौशल विकास मिशन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

(2) सभी संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(4) माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित ।

अपर मुख्य सचिव,
श्रम संसाधन विभाग–सह–
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
बिहार कौशल विकास मिशन ।